

मांग संख्या 79
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	2.34	2.34	...	2.75	2.75	...	3.02	3.02	
पूंजी	
जोड़	...	2.34	2.34	...	2.75	2.75	...	3.02	3.02	
उप-राष्ट्रपति										
1. सचिवालय	2012	...	2.29	2.29	...	2.70	2.70	...	2.94	2.94
2. अन्य	2012	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.08	0.08
कुल जोड़		...	2.34	2.34	...	2.75	2.75	...	3.02	3.02

1-2 इसमें उप राष्ट्रपति के सचिवालय के स्टाफ तथा अधिकारियों पर होने वाले व्यय जिसमें उनके यात्रा भत्ते, आकस्मिक व्यय तथा उप राष्ट्रपति के विवेकानुदान शामिल हैं, के लिए प्रावधान है। राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप राष्ट्रपति के वेतन की पूर्ति मांग सं. 77 से जाती है।